भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2995
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न

2995. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर-उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न, डीपफेक दुरुपयोग और अन्य प्रौद्योगिकी-समर्थित अपराधों के मामलों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;
(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट किए गए मामलों और दोषसिद्धि का हरियाणा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महिलाओं को लक्षित करने वाले डीपफेक सामग्री के सृजन और प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है;
(घ) ऐसे अपराधों की शीघ्र और प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए साइबर-फॉरेंसिक अवसंरचना सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का किशोरों और युवा प्रयोक्ताओं के लिए जागरूकता अभियानों सहित डिजिटल प्लेटफार्मों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में प्रयोक्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। सरकार डीपफेक सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और हानियों से भी अवगत है।

मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं;

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000

आईटी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) डिजिटल स्पेस में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से संबंधित हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्यवर्तियों पर स्पष्ट दायित्व डालते हैं।

आईटी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67 क और 67 ख) और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67) को दंड का प्रावधान है। इनके लिए क्रमशः तीन और पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास का दंड है।

इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 ('बीएनएस 2023') के निम्नलिखित प्रासंगिक खंड भी लागू हैं:

- धारा 294 अश्लील सामग्री की बिक्री से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी किसी भी सामग्री का प्रदर्शन शामिल है।
- धारा 296 में अश्लील कृत्यों और गाने जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है।

- धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कार्य के लिए दंड देकर ऐसी गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकना है जो सार्वजनिक शरारत या भय पैदा कर सकते हैं।

आईटी नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डालते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करें कि उनके कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ता अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, पीडोफिलिक, बच्चे के लिए हानिकारक, गोपनीयता का उल्लंघन, लिंग के आधार पर अपमान या उत्पीड़न करने वाली या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर, अपडेट या साझा न करें।

नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसी गैरकानूनी सामग्री को शीघ्र हटाने का भी आदेश दिया गया है।

10 फरवरी, 2026 को, सरकार ने डीपफेक और एआई-जनित सामग्री सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) से उत्पन्न होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए आईटी नियमों में संशोधन करके नियामक ढांचे को मजबूत किया।

संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

- मध्यवर्ती और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैरकानूनी एआई-जनित सामग्री के निर्माण और प्रसार को रोकने के लिए उचित तकनीकी उपाय तैनात करेंगे, जिसमें अश्लील, भ्रामक, व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने वाली या बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री भी शामिल है।
- अनुमेय एआई-जनित सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफार्मों की भी आवश्यकता होती है, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या दुरुपयोग को रोक सकें।
- यह गैरकानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के बारे में अनिवार्य उपयोगकर्ता जागरूकता और बड़े सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए मजबूत अनुपालन दायित्वों सहित उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफॉर्म अपेक्षित सावधानी को और मजबूत करता है।
- महत्वपूर्ण रूप से, नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से बाल यौन शोषण सामग्री, गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी, प्रतिरूपण और अन्य हानिकारक एआई-जनित सामग्री शामिल है, जिसमें अपेक्षित है कि प्लेटफार्म आवश्यक रूप से ऐसी सामग्री को रोकें और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करें।
- बिचौलियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे ऑटोमेटेड टूल्स या दूसरे सही तरीकों समेत सही और उचित तकनीकी उपाय अपनाएँ, ताकि किसी भी यूज़र को, जैसा भी मामला हो, ऐसी कोई भी बनावटी जानकारी बनाने, बनाने, बदलने, बदलने, पब्लिश करने, भेजने, शेयर करने या फैलाने की इजाज़त न मिले, जो उस समय लागू किसी भी कानून, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 शामिल है, का उल्लंघन करती हो।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थों को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय का आदेश प्राप्त होने या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) नियमित रूप से डीपफेक सहित एआई से संबंधित खतरों और प्रतिउपायों पर दिशानिर्देश जारी करती है।

सीईआरटी-इन ने नवंबर 2024 में डीपफेक खतरों और डीपफेक से सुरक्षित रहने के लिए पालन किए जाने वाले उपायों पर एक एडवाइजरी प्रकाशित की है।

सीईआरटी-इन नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर सुरक्षा और संरक्षा युक्तियों और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा करता है और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है।

आईटी अधिनियम में केंद्र सरकार के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निकाय या एजेंसी को "इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक" (आईटी अधिनियम की धारा 79ए) के रूप में अधिसूचित करने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने और न्यायिक कार्यवाही में उनकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन तैयार करने और साइबर स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' पर एक परियोजना लागू कर रहा है। अब तक, देश भर में 4,309 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 9.63 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। लगभग 15 करोड़ अनुमानित लाभार्थियों को अप्रत्यक्ष मोड के माध्यम से कवर किया गया।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) कंप्यूटर अवधारणा में जागरूकता (एसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) आदि जैसे डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नाइलिट ने डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत 43 लाख+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षण 56 एनआईईएलआईटी केंद्रों और 8500+ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों/सुविधा केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

भारत के संविधान के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और राज्य अपने कानून प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से रोकथाम, पता लगाने और जांच के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।
कानून प्रवर्तन एजेंसियां लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार साइबर अपराध के अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करती हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ("एनसीआरपी") (https://cybercrime.gov.in) को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ("I4C") के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है, ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाया जा सके।

इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। विवरण उनकी वेबसाइट https://ncrb.gov.in में देखा जा सकता है।

*****